

यार्न आपूर्ति योजना

प्रस्तावना

हथकरघा बुनाई एक श्रमसाध्य व्यवसाय है जो सारे देश में अधिकांशतः गांवों में फैला हुआ है। हथकरघा क्षेत्र बुनाई और संबद्ध क्रियाकलापों में (2009-10 की हथकरघा संगणना के अनुसार) 43 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल धागा होता है जो कि कताई मिलों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। धागे को व्यापारियों द्वारा विनियंत्रित किया जाता था और अधिकतर हथकरघा बुनकर अपने धागे की आवश्यकता के लिए इन व्यापारियों पर निर्भर रहते थे। इसके फलस्वरूप धागे की कीमतों में बेरोक-टोक बढ़ोतरी होती रही और इसकी उपलब्धता में कमी आती गई।

इन समस्याओं के निदान के लिए भारत सरकार ने धागे के बाजार में प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष निकाय के गठन की आवश्यकता महसूस की और 1983 में भारत सरकार के एक उपक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) की स्थापना की। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का मुख्य उद्देश्य समग्र देश के बुनकरों को एक सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से उपयुक्त एवं अपेक्षित गुणवत्ता का धागा उपलब्ध कराना है। किसी विशेष स्थान में निर्मित धागा उस स्थान तथा आस-पास में उपलब्ध कपास की गुणवत्ता पर आधारित होता है, जबकि किसी विशेष स्थान पर बुनकरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला धागा उस स्थान विशेष में प्रचलित उपभोग प्रणाली पर आधारित होता है। धागे के एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन करने से धागे की कीमत में वृद्धि होती है और इसके कारण बुनकरों को अलाभकारी स्थिति में आना पड़ जाता है। उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने धागे की आपूर्ति उस कीमत पर करने के लिए एक योजना शुरू की जिस पर वह 1992 में मिल पर उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत धागे की आपूर्ति में आने वाले परिवहन व्यय को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी एनएचडीसी है।

भारत सरकार, एनएचडीसी को अपनी गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए इच्छिणी भी प्रदान करती रही है। चूंकि एनएचडीसी की पूंजी को बढ़ाकर इसको मजबूत करना इसकी गतिविधि अर्थात् मिल गेट कीमत योजना के कार्यान्वयन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए यह उपयुक्त समझा गया है कि एनएचडीसी में निवेश करने संबंधी घटक को मिल गेट कीमत योजना में विलय कर दिया जाए। इसके अलावा, हथकरघा क्षेत्र के लागत नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार ने 2011-12 के दौरान मिल गेट कीमत योजना के तहत घरेलू रेशम तथा सूती हैंक यार्न और ऊन पर 10% कीमत सब्सिडी का एक और घटक शामिल किया ताकि हथकरघा क्षेत्र को सस्ता यार्न उपलब्ध कराया जा सके। यह मिल गेट कीमत योजना के तहत पहले से प्रदत्त परिवहन माल भाड़ा सब्सिडी से अतिरिक्त है। इस प्रकार यार्न आपूर्ति योजना नामक इस योजना में (i) मिल गेट कीमत पर धागे की आपूर्ति (ii) हैंक कॉटन यार्न, घरेलू रेशम तथा ऊन पर 10% कीमत सब्सिडी (iii) एनएचडीसी में निवेश।

(क) मिल गेट कीमत पर धागे की आपूर्ति

1. उद्देश्य:

इस घटक का उद्देश्य पात्र हथकरघा बुनकरों को मिल गेट कीमत पर सभी प्रकार का धागा उपलब्ध कराना है ताकि हथकरघा क्षेत्र में मूलभूत कच्चे माल की नियमित आपूर्ति को सुगम बनाया जा सके और इस क्षेत्र की रोजगार देने की क्षमता का उपयोग करने में उसको मदद पहुंचाई जा सके।

2. योजना का कार्य क्षेत्र:

2.1 जो एजेंसियां इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी, वे निम्नलिखित हैं :-

- (क) राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/प्राथमिक स्तर के सभी हथकरघा संगठन
- (ख) हथकरघा विकास केन्द्र
- (ग) हथकरघा उत्पादक/निर्यातक/विनिर्माता, जो एचईपीसी से पंजीकृत हों/वस्त्र मंत्रालय/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के उद्योग/हथकरघा निदेशक के अधीन कोई अन्य निर्यात संबर्धन परिषद
- (घ) आईएचडीएस/आईएचसीडीएस/मेगा क्लस्टर/एकीकृत हथकरघा वस्त्र पार्क के तहत स्वीकृत हथकरघा क्लस्टरों में गठित कंसोसियम उत्पादक कंपनी
- (ङ) मान्यता प्राप्त/अनुमोदित हथकरघा संघों के सदस्य
- (च) कार्पाट के मानदंडों को पूरा करने वाले गैर-सरकारी संगठन
- (छ) स्वयं सहायता समूह/संयुक्त जवाबदेह समूह
- (ज) व्यक्तिगत बुनकर और बुनकर उद्यमी
- (झ) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य एजेंसी।

2.2 हथकरघा वस्तुओं को तैयार करने के लिए अपेक्षित सभी किस्म का धागा मिल गेट कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। मिल गेट कीमत का अर्थ ऐसी कीमत से है जिस कीमत पर धागा भारतीय सिल्क के मामले में सिल्क एक्सचेंज के पंजीकृत लाइसेंस धारकों से, डीजीएफटी पंजीकृत आयातकों के लिए पूर्व-गोदाम कीमत तथा आयातित रेशमी धागे के मामले में एनएचडीसी से आयात के लिए भारतीय बंदरगाहों पर लदान मूल्य पर, रंजित/प्रसंस्कृत धागे के मामले में प्रसंस्करण कर्ताओं/रंजक घरों से, और सूती और अन्य प्रकार के धागे के मामले में प्रतिष्ठित कताई मिलों से खरीदा जाता है। रेशमी धागे और रंजित/प्रसंस्कृत धागे के मामले में एनएचडीसी से सभी प्रकार के भुगतान उनके बैंक खातों से आहरित एकाउंट पेयी बैंक के माध्यम से किए जाएंगे।

3. संगठनात्मक व्यवस्था:

- 3.1 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
3.2 2.1 में उल्लिखित पात्र एजेंसियों को ही एनएचडीसी द्वारा धागे की आपूर्ति की जाएगी।

4. आपूर्ति संबंधी प्रणाली :

- 4.1 पात्र एजेंसियां योजना के तहत एनएचडीसी को अपनी मांग भेजेगी।
4.2 एनएचडीसी मांग विनिर्देशों के अनुसार पूर्तिकारों से आपूर्ति संबंधी समझौता करेगा।
4.3 उपभोक्ता एजेंसियां हथकरघों पर कपड़ा तैयार करने अथवा योजना में दर्ज अपनी सदस्य समितियों/बुनकरों को इसके पूरे लाभ पहुंचाते हुए धागे का उपयोग करेंगी।
प्रत्येक उपभोक्ता एजेंसी अनुबंध-1 में निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की एक वचनबद्धता एनएचडीसी को प्रस्तुत करेगी।

5. दावा प्रतिपूर्ति:

5.1 धागा आपूर्ति योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-

- (i) सभी प्रकार के धागे के परिवहन के लिए मालभाड़ा प्रतिपूर्ति
(ii) यार्न डिपो संचालन व्यय
(iii) हैंक यार्न पर (सूती, रेशमी, ऊनी) 10% कीमत सब्सिडी
(iv) एनएचडी को सेवा प्रभार

इनमें से 10% कीमत सब्सिडी का अग्रिम भुगतान एनएचडीसी द्वारा इनवायस में किया जाएगा जिसके लिए भारत सरकार द्वारा एनएचडीसी को अग्रिम राशि प्रदान की जाएगी। मालभाड़ा पूर्ति पर, डिपो संचालन व्यय तथा एनएचडीसी का सेवा शुल्क और अन्य कार्यान्वय एजेंसियां इस प्रकार है :-

5.2 माल भाड़े की प्रतिपूर्ति दर, डिपो परिचालन व्यय और एनएचडीसी का सेवा प्रभार निम्नानुसार होंगे:-

(क) मैदानी क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए

(आपूर्ति किए गए यार्न का मूल्य %)

यार्न का प्रकार	पात्र एजेंसियों को अधिकतम मालभाड़ा प्रतिपूर्ति	पात्र एजेंसियों को डिपो प्रचालन व्यय	कार्यान्वयन एजेंसी को सेवा प्रभार
सिल्क यार्न	1.0%	2.0%	2.0%
जूट/कयर यार्न	1.0%	2.0%	2.0%
सिल्क और जूट/कयर यार्न के अलावा	2.5%	2.0%	2.0%

(ख) पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए

(आपूर्ति किए गए यार्न का मूल्य %)

यार्न का प्रकार	पात्र एजेंसियों को अधिकतम मालभाड़ा प्रतिपूर्ति	पात्र एजेंसियों को डिपो प्रचालन व्यय	कार्यान्वयन एजेंसी को सेवा प्रभार
सिल्क यार्न	1.25%	2.0%	1.5%
जूट/कयर यार्न	10%	2.0%	1.5%
सिल्क और जूट/कयर यार्न के अलावा	2.5%	2.0%	1.5%

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपूर्ति के लिए

(आपूर्ति किए गए यार्न का मूल्य %)

यार्न का प्रकार	पात्र एजेंसियों को अधिकतम मालभाड़ा प्रतिपूर्ति	पात्र एजेंसियों को डिपो प्रचालन व्यय	कार्यान्वयन एजेंसी को सेवा प्रभार
सिल्क यार्न	1.5%	2.0%	1.25%
जूट/कयर यार्न	10%	2.0%	1.25%
सिल्क और जूट/कयर यार्न के अलावा	5.0%	2.0%	1.25%

5.3 वर्तमान में एनएचडीसी मिल स्थल से हथकरघा बुनकर/एजेंसी तक सीधे यार्न की आपूर्ति कर रहा है। एनएचडीसी हथकरघा बुनकर/सोसायटी से मांग-पत्र लेने के बाद मिल को आदेश भेजता है। इसमें दक्षिणी राज्यों में मिलों से उत्तरी राज्यों में हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों तक 10-15 दिन और पूर्वोत्तर राज्यों में हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों तक 30-60 दिन का वितरण समय लगता है।

वितरण समय में कमी लाने और हथकरघा बुनकरों/एजेंसियोंको कम समय में कम मात्रा में माल पहुंचाने के लिए प्रस्ताव है कि एनएचडीसी प्रमुख स्थानों पर गोदाम खोलेगा।

1. एनएचडीसी 10 प्रमुख स्थानों पर गोदाम खोलेगा जिनमें उस राज्य में वेट से छूट प्राप्त प्रमुख किस्मों का यार्न रखा जाएगा।

संख्या 6/1/2012-डीसीएच /पीएंडएस

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

2. एनएचडीसी 50 से 75 प्रमुख क्लस्टरों पर ठेका आधार पर एक-एक व्यक्ति भी नियुक्त करेगा, जो उस क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों से मांग-पत्र प्राप्त करेगा और स्थानीय स्तर पर उनसे समन्वय करेगा। यह व्यक्ति उस क्लस्टर में किसी एक प्रमुख सहकारी सोसायटी परिसर से कार्य संचालन करेगा। यह व्यक्ति हथकरघा बुनकरों, बुनकर सहकारी सोसायटी इत्यादि से मांग-पत्र प्राप्त करके राज्य में नजदीकी एनएचडीसी गोदाम को प्रस्तुत करेगा।
3. एनएचडीसी गोदाम क्लस्टर में उस व्यक्ति से प्राप्त मांग-पत्र के अनुसार बुनकर-वार/एजेंसी-वार, अलग-अलग मांग-पत्र जारी करेगा और उसे मांग-पत्रों के संगत मांग-पत्र के साथ यार्न वितरित करेगा और शेष भुगतान, यदि कोई है, तो उसे एनएचडीसी को चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजेगा।
4. चूंकि एनएचडीसी इसी परिदृश्य के अनुसार/डिपो संबंधी कार्य करेगा, इसलिए एमजीपीएस के तहत हथकरघा एजेंसियों को डिपो प्रचालन प्रभार में 2.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक की कटौती की जाए और एनएचडीसी सेवा प्रभारों में उसी प्रकार से मैदानी क्षेत्र वाले राज्यों में 1.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक, पहाड़ी राज्यों में 1.5 प्रतिशत और पूर्वोत्तर राज्यों में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।
5. निम्नलिखित अनुसार 10 गोदाम खोले जाने का प्रस्ताव है :-

क्र.सं.	राज्य	गोदामों की संख्या	राज्य के वेट से छूट प्राप्त यार्न
1.	पूर्वोत्तर राज्यों- असम,अगरतला, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा	02	कॉटन हैंक यार्न तथा सिल्क हैंक यार्न
2.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	01	कॉटन हैंक यार्न तथा सिल्क हैंक यार्न
3.	ओडिशा	01	कॉटन हैंक यार्न तथा सिल्क हैंक यार्न
4.	झारखण्ड/बिहार	01	कॉटन हैंक यार्न तथा सिल्क हैंक यार्न
5.	उत्तर प्रदेश	02	कॉटन हैंक यार्न तथा सिल्क हैंक यार्न
6.	आन्ध्र प्रदेश	02	कॉटन हैंक यार्न तथा सिल्क हैंक यार्न
7.	केरल	01	कॉटन हैंक यार्न तथा सिल्क हैंक यार्न
	कुल	10	

नोट :- उक्त राज्य के वेट संबंधी सूचना दिनांक 29.8.2013 को संबंधित राज्यों की वेबसाइट से ली गई है।

6. मौजूदा एमजीपीएस के तहत परिवहन प्रतिपूर्ति की अनुमति मिल स्थल से हथकरघा बुनकर/एजेंसी स्थल तक है। चूंकि यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि एनएचडीसी गोदाम खोलेगा अतः यह आवश्यक है कि एमजीपीएस के तहत परिवहन प्रतिपूर्ति में निम्नलिखित शामिल होगा:-
- (i) मिल से एनएचडीसी गोदाम तक परिवहन प्रभार
और (+)
- (ii) एनएचडीसी गोदाम से हथकरघा बुनकर/एजेंसी के स्थान तक परिवहन प्रभार
- 5.4 जहां एनएचडीसी सीधे यार्न की आपूर्ति करेगा, अर्थात् यार्न डिपो के माध्यम से नहीं, वहां एनएचडीसी को मालभाड़ा प्रतिपूर्ति और सेवा प्रभारों की प्रतिपूर्ति पैरा 5.2 में यथा उल्लिखित अनुसार की जाएगी।
- 5.5 एनएचडीसी पैरा 5.2 के अनुसार उसे प्राप्त सब्सिडी में से अंतर के आधार पर मालभाड़े की लागत की पूर्ति करेगा। धागे को मिलों से एजेंसियों तक ले जाते समय की प्रतिपूर्ति की दर की गणना मात्रा, मूल्य तथा मालभाड़े की प्रवृत्ति के आधार पर की गई है। क्षेत्र की प्राथमिकता के संबंध में पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 5.6 धागे की लागत के अलावा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम धागे की प्राप्ति के स्थान अर्थात् रेशम के मामले में कताई मिलों/पंजीकृत लायसेंस धारकों तथा तैयार/रंजित धागे की स्थिति में संसाधकों रंजन-शालाओं से आपूर्ति किए गए तथा सुपुर्दगी स्थान अर्थात् एजेंसी के उसके प्रचालन कार्य क्षेत्र में स्थित गोदाम तक पहुंचाए गए धागे पर आने वाली परिवहन लागत का वहन करेगा। परिवहन लागत का लेखा-जोखा का बनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम माल का भाड़े की अदायगी के आधार पर भेजेगी तथा उपभोक्ता एजेंसियों द्वारा इस प्रकार दी गई पूरी राशि की प्रतिपूर्ति एनएचडीसी द्वारा द्विमासिक आधार पर की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति एलआर/जीआर आदि के साथ दावा बिल प्रस्तुत करने पर की जाएगी। परिवहन की वास्तविक लागत अथवा पैरा 5.2 में यथा उल्लिखित मालभाड़ा प्रतिपूर्ति दरों में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। एनएचडीसी द्वारा उपभोक्ता एजेंसियों को परिवहन प्रभार भुगतान उसके अपने बैंक खाते में आहरित चैक के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी स्थिति में एनएचडीसी ट्रांसपोर्टर को नकद अथवा चैक से सीधे भुगतान नहीं करेगा। खरीद गए यार्न, परिवहन आदि के ब्यौरे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुबंध-॥ के परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 5.7 एनएचडीसी यथासंभव काफी समय पहले व्यवहारिक अधिप्राप्ति प्लान तैयार करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसी या आसपास के राज्यों में स्थित नजदीकी मिलों से निर्बाध आपूर्ति हो।
- 5.8 बेचे गए यार्न को वास्तव में प्रयोक्ता एजेंसी को सुपुर्द किए जाने पर ही सरकारी सहायता देय होगी। निर्धारित दरों पर सहायता द्विमासिक आधार पर विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा निर्धारित फार्म में एन एच डी सी द्वारा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर देय होगी (अनुबंध-॥ तथा अनुबंध-॥ का परिशिष्ट "क")।

यह प्रमाण-पत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र के साथ प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अलग से भेजे जाने वाले आपूर्ति किए गए यार्न के एजेंसी-वार व्यौरे भेजे जाएंगे (अनुबंध-11 का परिशिष्ट "ख")। एजेंसी अपने दावे के साथ एनएचडीसी को एलआर/डीआर आदि की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगी।

- 5.9 निर्धारित दरों पर सरकारी सहायता की पूरी राशि लेखा परीक्षा विवरण की प्रस्तुति के बाद अदा की जाएगी, जिसकी छानबीन विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा की जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा किए गए परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति समय पर किए जाने के लिए एनएचडीसी द्वारा अधिकतम 100.00 लाख रूपए तक की राशि का अग्रिम प्रत्येक माह के आरंभ में दिया जाएगा जिसे संबंधित तिमाही के अंतिम दावों से समायोजित किया जाएगा, जो इस शर्त के अध्यक्षीन होगा कि पिछले वर्ष में एनएचडीसी को दिए गए अग्रिम के लेखाओं का एनएचडीसी द्वारा पूर्णतः निपटारा किया गया हो।

6. डिपो का संचालन:

6.1 उद्देश्य:

हथकरघा बुनकर दूर दराज और भीतरी स्थानों में सूत की समय पर आपूर्ति न मिलने की समस्या का लगातार सामना कर रहे हैं। इसलिए धागे की यथासमय आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी है कि विकसित अवसंरचना का इन क्षेत्रों में अधिकतम उपयोग हो। सतत आधार पर डिपो चलाने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी किस्मों के सूत (अर्थात् धागा आपूर्ति योजना के तहत प्राप्त सूत तथा एजेंसियों द्वारा सीधे ही प्राप्त किया गया सूत) की आपूर्ति धागा डिपुओं के माध्यम से की जाएगी तथापि मिल गेट कीमत योजना के तहत एनएचडीसी द्वारा आपूर्ति किए गए धागे के मूल्य व मात्रा की गणना डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए की जाएगी। 12वीं योजना अवधि के दौरान एनएचडीसी बेहतर और व्यापक स्थल वितरण के साथ और भी यार्न डिपो स्थापित करेगा।

6.2 विस्तार:

पैरा 2.1 के अंतर्गत शामिल सभी एजेंसियां डिपो चलाने के लिए प्राधिकृत होंगी।

6.3 स्थान:

एनएचडीसी की सहमति से इन डिपो के स्थान के बारे में एजेंसी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

- 6.4 जहां पर डिपो चलाने के लिए कोई नया स्टाफ नहीं है तो डिपो चलाने संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति एनएचडीसी द्वारा पैरा 5.2 (क), (ख) और (ग) में यथानिर्धारित दरों से संचालन एजेंसी को की जाएगी। सरकार द्वारा एनएचडीसी को यार्न आपूर्ति योजना के प्रावधानों में से इस राशि की प्रतिपूर्ति वास्तविक खर्च के आधार पर एनएचडीसी को अनुबंध-11 के परिशिष्ट "ग" के अनुसार दावे प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

7. मोबाइल वैन चलाना:

7.1 उद्देश्य:

दूर-दराज के क्षेत्रों में बुनकरों तक पहुंचने के लिए एजेंसी को समय-समय पर मोबाइल वैन चलाने की आवश्यकता होती है, ताकि बुनकर सूत उपलब्ध न होने की वजह से प्रभावित न हों।

7.2 विस्तार

पैरा 2.1 के अंतर्गत शामिल सभी एजेंसियां मोबाइल वैन चलाने के लिए प्राधिकृत होंगी। तथापि, जो एजेंसियां डिपो चलाने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें मोबाइल वैन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

40 मोबाइल वैनों को इस प्रकार चलाया जाएगा ताकि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मोबाइल वैन उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के अनुमोदन से और ज्यादा मोबाइल वैन चलाए जाने पर विचार किया जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी। देश के शेष भागों में स्थित दूर-दराज क्षेत्रों को यह सुविधा मुहैया कराने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय योजना आयोग के परामर्श से दूर-दराज के क्षेत्रों की पहचान करेगा।

7.3 सहायता

एक महीने में 20 दिन के लिए मोबाइल वैनों को चलाया जा सकता है। मोबाइल वैनों को चलाने के लिए प्रतिदिन 1500/- रु. अथवा वास्तविक खर्च, इसमें से जो कम हो की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हथकरघा कपड़ों की प्राप्ति के लिए भी मोबाइल वैन का उपयोग किया जा सकता है तथा उस सीमा तक हुए व्यय को उपरोक्त अधिकतम सीमा में शामिल किया जा सकता है।

मोबाइल वैन के संचालन संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति एजेंसियों को एनएचडीसी द्वारा की जाएगी। एनएचडीसी इस धनराशि की प्रतिपूर्ति दिशा-निर्देशों के पैरा 5.2 के अनुसार अनुबंध-11 के परिशिष्ट-"घ" में उल्लिखित लेखा परीक्षित दावा के प्राप्त होने पर वास्तविक खर्च के आधार पर करेगी और इसमें भाड़ा प्रभारों की नियमित प्रतिपूर्ति भी शामिल होगी।

मोबाइल वैन के संचालन हेतु एनएचडीसी की यह प्रतिपूर्ति पैरा 5.2 में उल्लिखित सहायता की एक समान दर के अलावा होगी और प्रतिवर्ष अधिकतम 36.00 लाख रूपए तक सीमित होगी।

8. निगरानी

प्रबंध निदेशक योजना की मासिक निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा और वस्त्र मंत्रालय को विभिन्न घटकों अर्थात् यार्न डिपो-काटन, सिल्क, जूट/ कयर तथा ऊन व अन्य तथा हैंक यार्न और कोन यार्न के तहत प्रगति तथा साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाते हुए रिपोर्ट भेजेगा।

इस घटक के कार्यान्वयन की निगरानी एनएचडीसी के निदेशक मंडल तथा विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा की जाएगी।

9. **प्रचार**

धागा आपूर्ति योजना के लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने की जरूरत है। योजना का संकेद्रित प्रचार स्थानीय भाषा में समाचार पत्रों, पंपलेटों व हैंडबिलों का मुद्रण एवं वितरण, पोस्टर लगाकर, दीवार पेंटिंग तथा क्रेता-विक्रता बैठकों इत्यादि के माध्यम से किया जाएगा। योजना का प्रचार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा किया जाएगा, जिस पर व्यय की प्रतिपूर्ति विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा की जाएगी।

10. **हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी**

(i) **पृष्ठभूमि :**

हथकरघा क्षेत्र के लागत नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार ने पहले हथकरघा क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त कॉटन हैंक यार्न को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की थी, जबकि कॉटन कार्न यार्न (विद्युतकरघा और मिलों में प्रयुक्त) पर 9.2% सेनवेट लगाया गया था। बाद में, 2004 में, कॉटन कार्न यार्न पर भी सेनवेट हटा दिया गया था। परिणामस्वरूप दोनों के बीच कीमत का अंतर समाप्त हो गया और हथकरघा को अब महत्वपूर्ण कच्चे माल में कीमत का अधिक फायदा नहीं मिला। चूंकि हथकरघा उत्पाद विद्युतकरघा की तुलना में जटिल और उत्तम डिजाइनों तथा कम उत्पादकता के कारण बुनाई में लंबा समय लगने के कारण अधिक महंगे होते हैं इसलिए हैंक यार्न पर सुस्पष्ट सब्सिडी प्रदान करना अनिवार्य है।

(ii) उपर्युक्त के आलोक में हथकरघा क्षेत्र में वितरित हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह सब्सिडी लाभार्थियों को अग्रिम प्रदान की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कार्न यार्न पर सेनवेट समाप्त किए जाने से पूर्व हथकरघा क्षेत्र को उपलब्ध कीमत का फायदा उसे पुनः उपलब्ध होगा। इसे न केवल हथकरघा क्षेत्र को बरकरार रखने और लंबे समय तक स्व-संपोषणीय बनाए रखने में मदद मिलेगी बल्कि वे विद्युतकरघा उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम होंगे।

(iii) यह भी निर्णय लिया गया है कि ऊन पर भी 10% सब्सिडी उपलब्ध होगी।

10.2 **कार्यान्वयन एजेंसियां**

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) एक मात्र कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

10.3 **लाभार्थी एजेंसियां**

योजना के तहत सब्सिडी युक्त यार्न प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र होंगी:-

- क. राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/प्राथमिक हथकरघा स्तर पर बुनकर सहकारी सोसाइटियों सहित सभी हथकरघा संगठन।
- ख. एचईपीसी के पास पंजीकृत स्वयं के करधों वाले हथकरघा निर्यातक।
- ग. स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त जवाबदेह समूह/व्यक्तिगत बुनकर /बुनकर उद्यमी/ मेगा क्लस्टर के एसपीवी /एकीकृत हथकरघा वस्त्र पार्क/क्लस्टरों के संघ।

नोट:-

1. ऐसे उद्यमी जो विपणन और अन्य क्रियाकलापों सहित वास्तविक बुनाई क्रियाकलापों में शामिल हैं और उनके परिसर में अपने करघे हैं वे बुनकर पात्र उद्यमी होंगे।
2. निर्यातकों और बुनकर उद्यमियों के परिसर में उनके अपने कार्यरत करघों की संख्या यार्न सब्सिडी के प्रयोजन से संख्या की गणना जाएगी।
3. 10% कीमत सब्सिडी के तहत यार्न की आपूर्ति या तो व्यक्तिगत बुनकर या उसकी एजेंसी अर्थात (स्वयं सहायता समूह, संयुक्त जवाबदेह समूह, सहकारी सोसाइटी, उत्पादक कंपनी) को की जाएगी जिसका वह सदस्य है लेकिन दोनों के लिए नहीं।

10.4 यार्न का प्रकार और पात्र मात्रा

- (i) हथकरघा मदों के उत्पादन के लिए अपेक्षित घरेलू कॉटन, सिल्क, ऊन 10% कीमत सब्सिडी के तहत शामिल होगी।
- (ii) यार्न सब्सिडी के प्रयोजन से किसी बुनकर अथवा किसी पात्र एजेंसी को आपूर्ति किए गए हैंक यार्न की मात्रा हथकरघा की संख्या के अनुसार निम्नलिखित के अनुसार सीमित होगी :-

सूती (40s संख्यांक तक)	30 कि.ग्रा./करघा/माह
सूती (40s से अधिक संख्यांक)	10 कि.ग्रा./करघा/माह
रेशमी यार्न	4 कि.ग्रा./करघा/माह.
ऊनी यार्न (10s एनएम से कम)	50 कि.ग्रा./करघा/माह.
ऊनी यार्न (10s से 39.99s एनएम)	10 कि.ग्रा./करघा/माह..
ऊनी यार्न (40s एनएम और अधिक)	4 कि.ग्राम./करघा/माह

 - ऊन पर सब्सिडी केवल व्यक्तिगत बुनकरों और हथकरघा सहकारी सोसाइटियों को ही उपलब्ध होगी। अन्य श्रेणी के यार्न के लिए सब्सिडी पूर्व मानदंडों के अनुसार जारी रहेगी।
 - सब्सिडी युक्त यार्न की आपूर्ति या तो किसी व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर या उसकी एजेंसी (अर्थात एसएचजी, जेएलजी, पीडब्ल्यूसीएस इत्यादि) को की जाएगी लेकिन दोनों को नहीं।
 - जिन एजेंसियों के पास एक से अधिक करघे हैं उन्हें 10% कीमत सब्सिडी घटक के तहत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न करघों हेतु विभिन्न मात्रा /किस्मों के यार्न के लिए कोटा आबंटन किया जा सकता है लेकिन केवल एक करघे वाले व्यक्तिगत बुनकरों को केवल यार्न की एक मात्रा अथवा किस्म के लिए निर्धारित कोटा ही मिल सकता है जिससे उसकी मुख्य जरूरतें शामिल हैं।
- (iii) दोहरे/प्लाई यार्न के मामले में पात्र मात्रा तय करने के लिए उसके संख्यांक पर विचार किया जाएगा।

10.5 कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा प्रभार

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, जो धागा आपूर्ति योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, हैंक यार्न घटक पर 10% कीमत सब्सिडी के तहत आपूर्ति किए गए यार्न के लिए बतौर सेवा

प्रभार यार्न की कीमत के अतिरिक्त 0.5% के लिए पात्र होगा जो यार्न आपूर्ति योजना में विनिर्दिष्ट शुल्क से अतिरिक्त होगा।

10.6 प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश

10.6.1 सामान्य दिशा-निर्देश

- (i) लाभार्थी एजेंसियों को कॉटन और सिल्क हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी अग्रिम दी जाएगी।
- (ii) राज्य हथकरघा निदेशालय /एनएचडीसी द्वारा प्रत्येक पात्र एजेंसी के करघों की संख्या की पुष्टि की जाएगी।
- (iii) सभी पात्र एजेंसियों और व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों को यार्न पास बुक जारी की जाएगी।
- (iv) आबंटित बजट में ही यार्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के प्रारंभ में ही राज्य में करघों की संख्या के आधार पर जारी की जाने वाली यार्न पास बुकों का राज्य-वार आबंटन किया जाएगा।
- (v) 10% कीमत सब्सिडी घटक के तहत यार्न की आपूर्ति या तो व्यक्तिगत बुनकर या उसकी एजेंसी (स्वयं सहायता समूह, संयुक्त जवाबदेह समूह, सहकारी सोसाइटी, उत्पादक कंपनी), जिसका वह सदस्य है, को दी जाएगी लेकिन दोनों को नहीं।
- (vi) प्रयोक्ता एजेंसियों को हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी अग्रिम उपलब्ध कराने के लिए, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) को प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में केन्द्र सरकार द्वारा योजना के बजट अनुमान के 40% तक कारपस निधि उपलब्ध कराई जाएगी। एनएचडीसी को दी गई कारपस निधि 70% राशि का उपयोग किए जाने और लेखा परीक्षित व्यय विवरण प्रस्तुत किए जाने पर पूरी की जाएगी। सभी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को लेखा परीक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर तिमाही प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि उन्होंने प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में विकास आयुक्त हथकरघा द्वारा उन्हें किए गए वित्तीय आबंटन से अधिक व्यय नहीं किया हो।

10.6.2 यार्न पास बुक जारी करने के लिए हथकरघों की पुष्टि और निर्धारित फार्मेट में आंकड़ों का संकलन

- (i) एनएचडीसी करघों की पुष्टि करेगा और हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों, एचईपीसी के पास पंजीकृत हथकरघा निर्यातकों के लिए संगत आंकड़ों का संकलन करेगा।
- (ii) राज्य सरकारें, एसएचजी, जेएलजी और बुनकर उद्यमियों तथा व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे और उनका सत्यापन करेंगे।

- (iii) राज्य सरकारों के अधीन शीर्ष/निगम उनसे सम्बद्ध प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियों के करघों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेंगे।
- (iv) राज्य सरकारें और शीर्ष/निगम इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को भेजेंगे ताकि यार्न पास बुक तैयार की जा सके।
- (v) एनएचडीसी यार्न पास बुक तैयार करेगी और उन्हें एसएचजी, जेएलजी, बुनकर उद्यमियों, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों को वितरित करने तथा उनके साथ सम्बद्ध पीडब्ल्यूसीएस के मामले में शीर्ष/निगमों को वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को सौंपेगी।
- (vi) यार्न पास बुक में 9 अंकों की क्रम संख्या होगी जो निम्नलिखित सूचना देंगे :-
पहले दो अंक - राज्य
अगले दो अंक - जिला
शेष 6 अंक - लगातार क्रम संख्या होगी
- (vii) प्रत्येक व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर को एनएचडीसी द्वारा अनुमोदित निकटतम यार्न डिपो के साथ जोड़ा जाएगा ताकि वह रियायती यार्न की मांग कर सके और उसे प्राप्त कर सके। उसे जारी की गई यार्न पास बुक में यार्न डिपो का नाम लिखा होगा।

10.6.3 यार्न की आपूर्ति

- (i) 10% सब्सिडी के तहत आपूर्ति की जाने वाली यार्न के मामले में एक समय में तीन माह तक की जरूरत की आपूर्ति की जा सकती है।
- (ii) मिश्रित उत्पादन श्रृंखला के मामले में पीडब्ल्यूसीएस को 40 तक और 40 से अधिक काउंट के कॉटन यार्न और 10एनएम से कम, 10 से 39.99एनएम तथा 40एनएम और अधिक काउंट के सिल्क यार्न और कॉटन यार्न पर उत्पादन में लगे हथकरघों की संख्या घोषित करनी होगी ताकि पात्र मासिक रियायती यार्न की मात्रा निर्धारित की जा सके।
- (iii) शीर्ष/निगम से जुड़ी प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटी के मामले में शीर्ष/निगम ऐसी सोसाइटियों को रियायती यार्न की पूरी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे जो तैयार उत्पाद की बाईबैक व्यवस्था के साथ पीडब्ल्यूसी को शीर्ष/निगम द्वारा यार्न की आपूर्ति सहित करघों की संख्या के अनुसार पात्र मात्रा के अनुसार होगी। यदि शीर्ष/निगम तैयार उत्पाद की बाईबैक व्यवस्था के लिए अपेक्षित मात्रा से अधिक रियायती यार्न उनसे जुड़ी पीडब्ल्यूसी को देने की इच्छुक नहीं है तो शीर्ष/निगम को 10% कीमत सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। इस मामले में एनएचडीसी द्वारा पीडब्ल्यूसी को रियायती यार्न की आपूर्ति की जाएगी।
- (iv) रियायती यार्न की आपूर्ति या तो व्यक्तिगत बुनकर को की जाएगी या उसकी उस एजेंसी को की जाएगी जिसका वह सदस्य है लेकिन दोनों को नहीं की जाएगी (अर्थात स्वयं सहायता समूह, संयुक्त जवाबदेह समूह, सहकारी सोसाइटी, उत्पादक कंपनी)
- (v) एनएचडीसी के माध्यम से की गई रियायती यार्न की आपूर्ति यार्न आपूर्ति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार माल भाड़े की प्रतिपूर्ति और डिपो परिचालन व्यय के लिए पात्र होगी।

- (vi) लाभार्थी एजेंसी आवश्यक रियायती यार्न के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करते समय यार्न की अपनी पूरी जरूरत के लिए भी मांग पत्र प्रस्तुत कर सकती है। तथापि यह सब्सिडी 10.4 के पैरा (ii) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार लाभार्थी के स्वामित्व वाले करघों की संख्या के अनुसार पात्र मात्रा तक सीमित होगी। यदि यह मांग एनएचडीसी से की जाती है तो यार्न आपूर्ति योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी मात्रा माल भाड़े की प्रतिपूर्ति और डिपो परिचालन व्यय के लिए पात्र होगी।

10.6.4 मांग पत्र प्रस्तुत करना और रिकार्ड रखना

- (i) व्यक्तिगत बुनकरों और अन्य पात्र एजेंसियों के मांग पत्र यार्न पास बुक में उल्लिखित डिपो परिचालन एजेंसियों के माध्यम से भेजे जाएंगे।
- (ii) एनएचडीसी को मांग पत्र भेजते समय डिपो परिचालन एजेंसी ऐसे व्यक्तिगत बुनकर/सोसाइटी (लाभार्थी एजेंसी) की आवश्यकता को सूचित करेगी। यार्न डिपो मांग पत्र में प्रत्येक लाभार्थी की यार्न पास बुक संख्या का उल्लेख करेगा।
- (iii) कम से 10 %अग्रिम के साथ मांग पत्र स्वीकार किए जाएंगे और शेष राशि का भुगतान सुपुर्दगी पर किया जाएगा।
- (iv) एनएचडीसी द्वारा खरीद आदेश और बिक्री इनवाइस अलग से तैयार की जाएगी।
- (v) एनएचडीसी शेष राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए यार्न डिपो को 10% सब्सिडी की राशि घटाने के बाद लाभार्थी-वार बिल तैयार करेगा।
तथापि, जहां व्यक्तिगत बुनकर अपना मांगपत्र भेजने तथा सब्सिडीयुक्त यार्न प्राप्त करने के लिए एनएचडीसी द्वारा अनुमोदित नजदीकी यार्न डिपो से सम्बद्ध है वहां प्रत्येक व्यक्तिगत बुनकर/लाभार्थी के लिए एनएचडीसी (i)प्रयोक्ता एजेंसी/यार्न डिपो के नाम से पृथक क्रय आदेश, मांगपत्र आदि (ii) उस यार्न डिपो के माध्यम से आने वाले अनेक व्यक्तिगत बुनकरों/लाभार्थियों की एकवारगी समेकित मांग के लिए प्रयोक्ता एजेंसी/यार्न डिपो के नाम से समेकित क्रय आदेश, मांगपत्र भेज सकता है। बाद के मामले में व्यक्तिगत बुनकरों की एक सूची जिसमें (क) व्यक्तिगत बुनकर का नाम (ख) पासबुक संख्या (ग) सामान (घ) मात्रा (ड.) कीमत इत्यादि का उल्लेख करते हुए बिक्री पत्र के अनुबंध के रूप में डिपो संचालन एजेंसी/यार्न डिपो को भेजी जाएगी। इसके अलावा मात्रात्मक प्रतिबंध/कोटा लाभार्थी (अर्थात् व्यक्तिगत बुनकर) के करघे की आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- (vi) माल भाड़े की प्रतिपूर्ति का भुगतान डिपो द्वारा किया जाएगा और एनएचडीसी द्वारा आपूर्ति किए गए रियायती यार्न के लिए प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया जाएगा।
- (vii) एनएचडीसी को मांग पत्र प्रस्तुत करने और डिपो के माध्यम से आपूर्तियां प्राप्त करने के लिए डिपो परिचालन एजेंसी उचित रिकार्ड रखेगी जिसे एनएचडीसी द्वारा यादृच्छिक आधार पर सत्यापित किया जा सकता है।

(viii) व्यक्तिगत बुनकरों (आधा गांठ से कम) और/या उन क्षेत्रों में आपूर्ति को सुकर बनाने के उद्देश्य से, जहां डिपो नहीं हैं, वहां एनएचडीसी विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में यार्न डिपो खोलेगी और उनका परिचालन करेगी।

(ix) एनएचडीसी अनुबंध -III और IV तथा अनुबंध- IV के परिशिष्ट 'क' और 'ख' में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगी।

10.7 सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें व्यय विभाग, योजना आयोग, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे ताकि योजना की समीक्षा की जा सके और योजना के वित्तीय पैरामीटरों में संशोधन या उन पर प्रभाव डाले वगैर परिचालनात्मक दिशा निर्देशों का अनुमोदन या संशोधन किया जा सके।

ख राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम में निवेश

1. पृष्ठभूमि:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के तौर पर फरवरी, 1983 में की गई जो हथकरघा क्षेत्र के त्वरित विकास में मदद करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की ऐसी एजेंसी की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसरण में थी जो उचित कीमत पर सभी इनपुट्स की अधिप्राप्ति और आपूर्ति करने, राज्य हथकरघा एजेंसियों के विपणन प्रयासों का संवर्धन करने तथा हथकरघा क्षेत्र और उसकी उत्पादकता संबंधी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने वाली विकासपरक गतिविधियां प्रारंभ करने संबंधी सभी कार्यों का समन्वय करे। एनएचडीसी, हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। एनएचडीसी के इक्विटी बेस को मजबूत करने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष 1.00 करोड़ रूपए की दर से इक्विटी प्रदान करती रही है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम राज्य हथकरघा एजेंसियों, शीर्ष निकायों, क्षेत्रीय संघों, बुनकर सहकारिताओं, हथकरघा विकास केन्द्रों, हथकरघा एसोसिएशनों और निर्यात संवर्धन में लगी हथकरघा विनिर्माता यूनिटों के माध्यम से धागा, रंग और रसायनों की आपूर्ति करता रहा है। यह 522 से भी ज्यादा प्रतिष्ठित कताई मिलों से सभी किस्म के धागों अर्थात् सूती, पालिएस्टर, विस्कोस, मिश्रित, ऊनी, रेशमी, जूट आदि की अधिप्राप्ति करता रहा है और उसे 1271 से भी ज्यादा एजेंसियों को उपलब्ध कराता रहा है।

एनएचडीसी की गतिविधियों का आशय निम्नलिखित की उपलब्धि करना है :-

- हथकरघा बुनकरों को धागा, रंग तथा रसायन जैसे कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- अवसंरचनात्मक तथा यथोचित प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देना ।
- उच्च स्तरीय उत्पादन हेतु विपणन अवसरों का सृजन तथा निर्यात हेतु विपणन अवसरों को बढ़ाना ।
- हथकरघा निगमों, सहकारिता सोसाइटियों, तथा अन्य निकायों अथवा उत्पादन एवं हथकरघा क्षेत्र के विकास में लगे लोगों को केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान दिलाने वाले माध्यम के रूप में कार्य करना ।

2. उद्देश्य:

इस घटक का उद्देश्य एनएचडीसी को अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करना है ताकि यह अपनी गतिविधियों में बढोत्तरी लाने के लिए अपेक्षित बढा हुआ ऋण प्राप्त करने हेतु अपने इक्विटी बेस को बढ़ाने में सक्षम हो सके । इन गतिविधियों में हथकरघा बुनकरों/हथकरघा संगठनों को धागे की आपूर्ति की मात्रा का बढ़ाया जाना शामिल है ।

3. कार्यक्षेत्र:

12वीं योजना के दौरान, भारत सरकार, निगम के इक्विटी बेस को बढ़ाने के लिए इक्विटी के रूप में एनएचडीसी की सहायता करेगी ताकि यह अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक ऋण प्राप्त कर सके लेकिन, इसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं :-

1. इस संबंध में एक प्रस्ताव, एनएचडीसी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित कराया जाना होगा ।
2. प्रतिवर्ष अधिकतम इक्विटी आवंटन 1.00 करोड़ रुपए होगा ।
3. एनएचडीसी को अपने प्रस्ताव के साथ बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा विधिवत अनुमोदित पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी होगी ।
4. एनएचडीसी, भारत के राष्ट्रपति को 100/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (पूर्णतः भुगतान किया गया) के हिसाब से एक लाख इक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए इस धनराशि का उपयोग करेगा ।
5. एनएचडीसी, भारत सरकार को लाभांश के भुगतान के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार (वित्त मंत्रालय, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग आदि) द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों/शर्तों को पूरा करेगा ।
6. एनएचडीसी, वस्त्र मंत्रालय और एनएचडीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से संबंधित लक्ष्यों/कार्य दायित्वों को प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा ।

यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत धागे की आपूर्ति संबंधी योजना के तहत उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को प्रस्तुत किए जाने वाले वचन पत्र का फार्मेट

वचन पत्र

उपयोगकर्ता एजेंसी का नाम और पता :

- (i) यह समिति/निगम/एजेंसी, हथकरघा वस्त्र तैयार करने में लगी हुई है और यार्न आपूर्ति और 10 % यार्न सब्सिडी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से समिति/निगम/एजेंसी द्वारा प्राप्त किये गये धागे का निश्चित उपभोग हमारे उत्पादन केन्द्रों और/या हमारे पास सीधे दर्ज हुई सदस्य समितियों/बुनकरों को देने के लिए है।
- (ii) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए धागे का समिति/निगम/एजेंसी के साथ सीधे नाम दर्ज किए गए संगठनों/बुनकरों के अलावा किसी अन्य को पुनः नहीं बेचा जाएगा।
- (iii) हमारे साथ सीधे नाम दर्ज की गई सदस्य समितियों/बुनकरों को इस योजना के पूरे-पूरे लाभ उस समय दिए जाएंगे जब इस योजना के अंतर्गत खरीदा गया धागा उनको बेचा जाता है। उन्हें आपूर्ति की जाती है; और
- (iv) इस योजना की किसी एक या एक से अधिक शर्तों का पालन न करने की स्थिति में यह समिति/निगम/एजेंसी, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को (इस वचन पत्र निष्पादन की तारीख से लेकर पता चलने की तारीख तक) दिए गए धागे के वास्तविक बिक्री मूल्य और परिवहन खर्च, उपरिव्यय आदि सहित बाजार मूल्य के बीच के अंतर के बराबर की रकम को अदा करने का वचन देती है।

सचिव के हस्ताक्षर
(रबड़ की मोहर सहित)

मुख्य कार्यपालक के हस्ताक्षर
(रबड़ की मोहर सहित)

स्थान:
दिनांक:

संख्या 6/1/2012-डीसीएच /पीएंडएस
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

अनुबंध -II

प्रमाण-पत्र

1. हमने यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत _____ अवधि में पात्र एजेंसियों को की गई धागे की आपूर्ति के संबंध में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ के लेखों की जांच कर ली है। हम संतुष्ट हैं कि एनएचडीसी द्वारा परिकल्पित राशि सही और उचित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि धागे की आपूर्ति, जिसके लिए _____ अवधि के लिए पूर्ति का दावा किया गया है, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय से जारी दिनांक _____ के पत्र सं. 6/1/2012- डीसीएच/ पी एंड एस में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है।
3. धागे की आपूर्ति, जिस पर _____ अवधि के लिए सरकार की सहायता का दावा किया जा रहा है, पात्र एजेंसियों को ही किया गया है।
4. _____ अवधि के लिए प्रतिपूर्ति की _____ रुपये. (_____ रूपए) की राशि का पहले दावा नहीं किया गया है।
5. परिशिष्ट "क" में दिए गए विवरण के अनुसार _____ अवधि का दावा, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के दिनांक _____ के पत्र सं. 6/1/2012- डीसीएच/ पी एंड एस तथा समय-समय पर इस संबंध में जारी ऐसे अन्य अनुदेशों के अनुसार तैयार किया गया है।
6. प्रतिपूर्ति का यह दावा योजना के अंतर्गत दिए गए धागे के बारे में है।
7. प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचडीसी द्वारा उन सभी एजेंसियों से वचनपत्र लिए गए हैं जिन्हें _____ अवधि के दौरान धागे की आपूर्ति की गई है।
8. अनुदानग्राही संस्था पर भ्रष्ट व्यवहार अपनाने का शक करने का कोई कारण नहीं है।

सनदी लेखाकार
(रबर की मुहर सहित)

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम

दिनांक:

संख्या 6/1/2012-डीसीएच /पीएंडएस
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

अनुबंध -II का परिशिष्ट "क"

_____ की अवधि के लिए यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत आपूर्ति के आधार पर प्रतिपूर्ति के दावे का विवरण

क्र.सं.	राज्य/एजेंसी का नाम	आपूर्ति किए गए धागे की मात्रा (कि.ग्रा. में)	मिल गेट कीमत पर धागे की लागत (रु. में)	परिवहन की वास्तविक लागत (रु.. में)
	कुल जोड़			

प्रतिपूर्ति के दावे की राशि : _____ रुपये

(आपूर्ति किए गए धागे के मूल्य का _____%)

पहले से ही दावा की गई अग्रिम राशि घटाकर : _____ रुपये

देय शेष राशि : _____ रुपये

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम
(रबड़ की मोहर सहित)

सनदी लेखाकार
(रबर की मुहर सहित)

यार्न आपूर्ति योजना में धागे की आपूर्ति के लिए योजना के अंतर्गत, एनएचडीसी द्वारा आपूर्ति किए गए धागे का एजेंसी-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

प्रयोक्ता एजेंसी का नाम व पता

(प्रत्येक एजेंसी के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया जाए) : _____

क्र.सं.	अवधि/ तारीख	प्राप्त की गई धागे की आपूर्ति		मिल का नाम और स्थान, जिससे धागे की आपूर्ति की गई	आपूर्ति किए गए धागे का गंतव्य	एल आर संख्या/तारीख	परिवहन कंपनी का नाम	भुगतान किए गए मालभाड़े की राशि (रु.में)
		मात्रा (कि.ग्रा)	मूल्य (रुपये)					
		कुल जोड़						

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा वास्तव में धागे की उपर्युक्त आपूर्ति की गई है और इस निगम/सोसाइटी/एजेंसी द्वारा मालभाड़े की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।

कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर

यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत प्रयोक्ता एजेंसी से एनएचडीसी को डिपो प्रचालन का दावा प्रतिपूर्ति विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	तिमाही की शुरुआत में शेष स्टॉक		मिल गेट कीमत योजना के अंतर्गत प्राप्त किया गया धागा		मिल का नाम	मिल गेट कीमत योजना के अलावा प्राप्त किया गया धागा		मिल का नाम	तिमाही के दौरान बेचा गया कुल धागा		अंतिम स्टॉक	वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 2% की दर से प्रतिपूर्ति
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य		
	कुल जोड़												

प्रमाणित किया जाता है कि धागे की उपर्युक्त आपूर्ति वास्तव में की गई है और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा डिपो प्रचालन के लिए प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया गया है।

डिपो प्रचालन के लिए दावा की गई प्रतिपूर्ति राशि : _____ रुपये
(वास्तविक आंकड़ों के आधार पर धागे की आपूर्ति के मूल्य का 2%)

कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेंसी का नाम)
(रबड़ की मोहर सहित)

सनदी लेखाकार

मोबाइल वैन के प्रचालन के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने का विवरण

क्र. सं.	राज्य /एजेंसी का नाम	प्रचालित मोबाइल वैनों की संख्या तथा दिनों की संख्या	यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत धागे की मात्रा	मोबाइल वैनों के माध्यम से धागे की आपूर्ति	मोबाइल वैनों को चलाने के लिए प्रतिपूर्ति		एनएचडीसी द्वारा भुगतान की गई राशि
					वैन की संख्या	वैन चलाने के लिए भुगतान की गई वास्तविक राशि (वैन चालक से प्राप्त रसीद संलग्न करें)	
कुल							

प्रमाणित किया जाता है कि कुल _____ दिनों के लिए कुल _____ वैनों ने कार्य किया और मोबाइल वैन प्रचालन के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा उक्त प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है।

दावा की गई प्रतिपूर्ति राशि :

(1500/-रू. प्रतिदिन अथवा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर)

कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर
सनदी लेखाकर

(रबर की मुहर सहित)

(प्रयोक्ता एजेंसी का नाम)

एनएचडीसी के सनदी लेखाकर

एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक के प्रति हस्ताक्षर

अनुबंध -III

यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को प्रस्तुत किए जाने वाले वचन पत्र का फार्मेट

वचन पत्र

उपयोगकर्ता एजेंसी का नाम और पता :

हम एतद्वारा यह वचन देते हैं :

- i) कि यह समिति/निगम/एजेंसी, हथकरघा वस्त्र तैयार करने में लगी हुई है और हैंक यार्न आपूर्ति और यार्न सब्सिडी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से समिति/निगम/एजेंसी द्वारा प्राप्त किये गये धागे का निश्चित उपभोग हमारे उत्पादन केन्द्रों और/या हमारे पास सीधे दर्ज हुई सदस्य समितियों/बुनकरों को देने के लिए है।
- ii) कि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए धागे का समिति/निगम/एजेंसी के साथ सीधे नाम दर्ज किए गए संगठनों/बुनकरों के अलावा किसी अन्य को पुनः नहीं बेचा जाएगा।
- iii) कि हमारे साथ सीधे नामजद सदस्य समितियों/बुनकरों को इस योजना के पूरे-पूरे लाभ उस समय दिए जाएंगे जब इस योजना के अंतर्गत खरीदा गया धागा उनको बेचा/आपूर्ति की जाती है।
- iv) कि इस योजना की किसी एक या एक से अधिक शर्तों का पालन न करने की स्थिति में यह समिति/निगम/एजेंसी, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को (इस वचन पत्र निष्पादन की तारीख से लेकर पता चलने की तारीख तक) दिए गए धागे के वास्तविक बिक्री मूल्य और बाजार मूल्य के आधार पर धागे के मूल्य के बीच के अंतर के बराबर की रकम को अदा करने का वचन देती है।
- v) कि समिति /निगम/एजेंसी ने _____ की अवधि के दौरान हथकरघा वस्त्र के उत्पादन के लिए अपने परिसर में _____ संख्या में करघे और अपने परिसर से बाहर _____ संख्या में करघे लगाए हैं।
- vi) कि समिति /निगम/एजेंसी द्वारा _____ की अवधि के दौरान दावा की गई यार्न सब्सिडी, यार्न सब्सिडी योजना के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इसके लिए निर्धारित यार्न कोटा के आधार पर है।
- vii) कि समिति /निगम/एजेंसी के सभी सदस्यों ने योजना के तहत केवल व्यक्तिगत हैसियत अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिगत बुनकर अथवा उपयोक्ता एजेंसी के सदस्य के रूप में आपूर्ति प्राप्त कर ली है।

मुख्य कार्यपालक/उपयोगकर्ता एजेंसी के सचिव के हस्ताक्षर

(रबड़ की मोहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

नोट: व्यक्तिगत बुनकरों से कोई वचनबद्धता अपेक्षित नहीं है।

प्रमाण-पत्र

1. हमने आपूर्ति किए गए यार्न के संबंध में एनएचडीसी द्वारा रख-रखाव किए जा रहे लेखों और अभिलेखों की जांच कर ली है और इस बात से संतुष्ट हैं कि आपूर्ति किया गया यार्न, जिसके आधार पर _____ तिमाही/ अवधि के दौरान प्रतिपूर्ति दावा किया गया है, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा उनके दिनांक _____ के पत्र संख्या _____ के तहत परिचालित योजना में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि _____ अवधि के लिए _____ रु. (_____ रुपये) की प्रतिपूर्ति राशि, जिसका दावा किया गया है, वह _____ रु. (_____ रुपये) की यार्न सब्सिडी के आधार पर है और एनएचडीसी द्वारा भुगतान की गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि _____ अवधि के लिए _____ (कार्यान्वयन एजेंसी का नाम) द्वारा दावा की गई प्रतिपूर्ति की _____ रुपये. (_____ रूपए) की राशि का पहले दावा नहीं किया गया है।
4. प्रमाणित किया जाता है कि परिशिष्ट "क" में दिए गए विवरण के अनुसार _____ अवधि का दावा, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के दिनांक _____ के पत्र सं. _____ तथा समय-समय पर इस संबंध में जारी ऐसे अन्य अनुदेशों के अनुसार तैयार किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचडीसी द्वारा उन सभी एजेंसियों से वचनपत्र लिए गए हैं जिन्हें _____ अवधि के दौरान धागे की आपूर्ति की गई है।
6. अनुदानग्राही संस्था पर भ्रष्ट व्यवहार अपनाने का शक करने का कोई कारण नहीं है।

सनदी लेखाकार
(रबर की मुहर सहित)

कार्यान्वयन एजेंसी के मुख्य कार्यपालक के हस्ताक्षर

(नाम तथा पदनाम)

स्थान:

दिनांक:

संख्या 6/1/2012-डीसीएच /पीएंडएस
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

अनुबंध -IV का परिशिष्ट "क"

यार्न सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य-वार दावे का सार

1. कार्यान्वयन एजेंसी का नाम :
2. दावे की अवधि :
3. आपूर्ति किए गए यार्न और सब्सिडी का सार

क्र. सं.	राज्य का नाम	यार्न की आपूर्ति मात्रा (कि.ग्रा)	सब्सिडी से पूर्व यार्न का मूल्य (रू.में)	सब्सिडी से पूर्व यार्न मूल्य पर 10% की दर से यार्न सब्सिडी (रू.में)	सब्सिडी से पूर्व यार्न मूल्य पर 0.5% की दर से सेवा शुल्क (रू.में)	यार्न सब्सिडी और सेवा शुल्क के लिए कुल दावा (रू.में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=(5+6)

4. कार्यान्वयन एजेंसी के पास धनराशि की स्थिति:

	विवरण	राशि (रू.में)
(i)	दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि	
(ii)	घटा: पहले से दावा की गई अग्रिम राशि	
(iii)	शेष राशि (i-ii)	

सनदी लेखाकार
(रबर की मुहर सहित)

एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर
(नाम तथा पदनाम)

स्थान:

दिनांक:

यार्न आपूर्ति योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को अनुमत यार्न सब्सिडी के बदले दावे की प्रतिपूर्ति के लिए विवरण

1. कार्यान्वयन एजेंसी का नाम :
2. दावे की अवधि :
3. यार्न आपूर्ति और सब्सिडी का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	आपूर्ति की तारीख	यार्न की किस्म और काउंट	तिमाही के दौरान किए गए यार्न की आपूर्ति (कि.ग्रा.)	यार्न सब्सिडी से पहले यार्न का मूल्य (रु.)	सब्सिडी से पहले यार्न के मूल्य पर 10% की दर से यार्न सब्सिडी (रु.)	सब्सिडी से पहले यार्न के मूल्य पर 0.5% की दर से सेवा प्रभार (रु.)	यार्न सब्सिडी और सेवा प्रभारों के लिए कुल दावा (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9

4. कार्यान्वयन एजेंसी के पास धनराशि की स्थिति:

	विवरण	राशि (रु.में)
(i)	दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि	
(ii)	घटा: पहले से दावा की गई अग्रिम राशि	
(iii)	शेष राशि (i-ii)	

सनदी लेखाकार
(रबर की मुहर सहित)

एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

(नाम तथा पदनाम)

स्थान:

दिनांक: